न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 15/2021

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

गुमानसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपुरोहित निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार समदड़ी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.03.2021 जो प्रकरण सं. 02/2021 मे नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण सं. 02/2021 सरकार बनाम गुमानसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का जेठन्तरी द्वारा तहसीलदार समदड़ी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जेठन्तरी के खसरा नम्बर 759 रकबा 06–06 बीघा किस्म गैर मुमकीन सड़क सरकारी भूमि मे से 1530 वर्गफीट भूमि पर गैर सायल गुमानसिंह पुत्र खंगारसिंह पुरोहित सा0 देह द्वारा पक्की दुकाने व दुकानों के आगे चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो ... जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का ... पर नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधि..., के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया। गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा अपना जवाब प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गैर सायल के जवाब का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 19.03.2021 के द्वारा 24/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 25.03.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट का अपने पट्टाशुदा भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.11.2004 को जारी किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब में अपीलांट द्वारा स्पष्ट उल्लेखित किया था कि उसका खसरा नम्बर 759 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हैं। अपीलांट द्वारा आम रास्ते पर लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण की शिकायत जिला कलेक्टर सतर्कता को की गई थी जिससे हल्का पटवारी एवं आर.आई. नाराज हो गये थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के मौका की जांच एवं पैमाईश कर रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया था किन्तु न तो मौका पर पैमाईश की गई और न ही कब्जा के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। अपीलांट के कब्जा के उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में एक सिविल वाद माननीय सिविल न्यायालय बालोतरा में विचाराधीन है [illegible] चलते धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत कार्यवाही [illegible] कि सिविल हक का निर्धारण सिविल वाद के द्वारा ही तय [illegible] जा सकेगा। अपीलांट द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध सतर्कता समिति के समक्ष शिकायत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करवाई थी जिसमें भूमि का गलत माप एवं अवैध खनन के आरोप लगाये गये थे इससे नाराज होकर वैमनस्य पूर्वक धारा 91 की कार्यवाही की गई हैं। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि दिनांक 07.02.2021 को तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौका देखा गया था जिसकी मौका रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि को आबादी की भूमि होना पाया गया था। उक्त मौका निरीक्षण के समय मुन्तकील पोईन्ट से जरीब एवं जीपीएस के आधार पर सीमांकन किया गया था जिसमें खसरा नम्बर 759 गैर मुमकीन बेरा एवं खसरा नम्बर 761 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि होना लिखा गया था। इस रास्ते की भूमि में 5700 वर्गफुट में पुराना ग्राम पंचायत भवन बना हुआ हैं तथा 918 वर्गफुट पर खेतलाजी का मन्दिर एवं कमरा बना हुआ है तथा जहां आम रास्ता है वहां आवागमन सुगमता से हो रहा हैं। इस प्रकार रास्ते पर अतिक्रमण से आवागमन में बाधा उत्पन्न होने का कोई आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे अतिक्रमण मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम जेठन्तरी के खसरा नम्बर 759 रकबा 06–06 बीघा किस्म गैर मुमकीन सड़क सरकारी भूमि मे से 1530 वर्गफीट भूमि पर पक्की दुकाने एवं उनके आगे चबूतरा बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट उपस्थित [illegible] था जवाब प्रस्तुत किया गया है जो तथ्यों के परे एवं [illegible] नहीं होने से मनगढ़त तथ्य मानते हुए अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत के कथित पट्टे के आधार पर गैर मुमकीन सड़क की भूमि पर अवैध निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम जेठन्तरी में अपना रहवास एवं कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा यह भी प्रकट किया कि उक्त कब्जा के भूखण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 01.11.2004 को जारी किया गया हैं। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया हैं कि अपीलांट के द्वारा रास्ते की भूमि पर लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत प्रस्तुत करने पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा मौका देखा गया था तथा मौके पर माप एवं सीमांकन किया गया था। इस मौका निरीक्षण की रिपोर्ट में अपीलांट को अतिक्रमी नहीं माना गया था। इसके पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपीलांट की शिकायत से रंजीश रखते हुए गलत रूप से धारा 91 की रिपोर्ट दबाव में प्रस्तुत कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने जवाब में यह निवेदन किया था कि मौके पर पुनः सैटलमेंट के मुंतकील पोईन्ट से पैमाईश करने से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस प्रकार तहसीलदार समदड़ी की मौका रिपोर्ट एवं हल्का पटवारी की धारा 91 की रिपोर्ट से मौके की वस्तुस्थिति ही स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि अपीलांट्स का निर्माण आबादी की भूमि में है अथवा सरकारी भूमि में हैं। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्पन्न कार्यवाही का प्रश्न हैं तो अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के [illegible] तहसीलदार समदड़ी के द्वारा दिनांक 07.02.2021 को [illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलांट का गैर मुमकिन सड़क की मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया हैं। इसके पश्चात दिनांक 26.02.2021 को हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलांट के विरूद्ध उक्त धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार समदड़ी की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.02.2021 का अवलोकन एवं विवादित सरकारी भूमि पर अपीलांट के आधिपत्य बाबत भौतिक स्थिति पर कोई विवेचन नही किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि विवादित भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांट एवं हितबद्ध पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं मौका जांच करें तथा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी से भिन्न अन्य भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ टीम गठित कर से पैमाईश कराई जाकर रिपोर्ट ली जावें तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)